भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 37

उत्‍तर देने की तारीख : 24 नवंबर, 2014

**सम विश्वविद्यालयों को काली सूची में शामिल करना**

**37. श्रीमती वानसुक साइमः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने बिगड़ती अवसंरचना, घटिया संकाय तथा खराब शैक्षणिक मानकों के कारण वर्ष 2009 में 44 सम विश्वविद्यालयों को काली सूची में शामिल किया था;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों को काली सूची में डाले जाने के निर्णय की समीक्षा करने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच की है और क्या इसे उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास राज्‍यमंत्री**

**(प्रो. (डॉ.) राम शंकर कठेरिया)**

**(क) :** कतिपय सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं में शैक्षिक मानकों की गिरावट के बारे में सामान्‍य अवधारणा और साथ ही माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा विप्लव शर्मा मामले में व्‍यक्‍त की चिंता के अनुसरण में, सरकार ने वर्तमान सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं के कार्यकरण तथा उनके इस प्रकार जारी रहने की वांछनीयता की समीक्षा करने के लिए प्रख्‍यात शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपने मूल्‍यांकन तथा मूल्‍य निर्धारण के आधार पर यह रिपोर्ट दी थी कि जबकि कुछ सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं अपेक्षित बैंचमार्क को पूरा करती हैं, कुछ अन्‍य को ऐसा करने में कुछ समय की आवश्‍यकता होगी और अभी तक कुछ अन्‍य जिनकी संख्‍या 44 है, कमियों के कारण सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं के रूप में जारी रहने के पात्र नहीं थी। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस समीक्षा समिति की रिपोर्ट को स्‍वीकार कर लिया है। तथापि, इस समिति की सिफारिशों का कार्यान्‍वयन का मुद्दा इस समय भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में विप्‍लव शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्‍य (2006 की रिट याचिका (सी) सं.142) के मामले में न्‍याय निर्णयाधीन है। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने इन 44 सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं के संबंध में सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के निदेश दिए हैं।

**(ख) और** **(ग) :** माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशों की अनुपालना में विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने श्रेणी 'ग' सम-विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं का मूल्‍यांकन करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया जिसमें शामिल है (i) प्रो. एच. देवराज, उपाध्‍यक्ष विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग, (ii) प्रो. संजय ढांढे, सदस्‍य, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग, (iii) प्रो. वी.एस. चौहान, सदस्‍य, विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग एवं (iv) श्रीमती अनिता शर्मा, अपर सचिव। तदनुसार, 41 सम-विश्‍वविद्यालय संस्‍थाएं 8-12 और 14 जुलाई, 2014 को उप समिति के समक्ष प्रस्‍तुत हुई और एक पॉवर प्‍वाइंट प्रजेंटेशन प्रस्‍तुत की। इन संस्‍थाओं ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्‍त विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय समीक्षा समिति (टंडन समिति) और अधिकारियों की समिति के बारे में अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराईं। उपर्युक्‍त उप-समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.09.2014 को आयोजित 503वीं बैठक (मद संख्‍या 2.02) के समक्ष रखी गई थी। आयोग ने रिपोर्ट की विषय-वस्‍तु को नोट किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को रिपोर्ट अग्रेषित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उप-समिति की रिपोर्ट को आगे की आवश्‍यक कार्रवाई हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया था। इससे पहले कि निर्णय लिया जाता, वर्ग ‘ग’ की 7 सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं ने माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में अंतराज्ञप्ति संबंधी आवेदन दायर कर दिए। मामले की सुनवाई करने के बाद माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 26.9.2014 को विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग को इन 7 सम विश्‍वविद्यालयों का वास्‍तविक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन 7 सम विश्‍वविद्यालयों का वास्‍तविक निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

\*\*\*\*\*